

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

लखनऊ।

पत्रसं०-प-2167 / एफएस-2015

दिनांक: फरवरी 05, 2018

सेवा मे,

अधिशायी अभियन्ता (हा०/इंटी०सेल)
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
नवीन भवन, विपिनखण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

विषय:-

खसरा नं०-400 से 404, 405 से 408(पी), 409, 410, 411, 412(पी), 480(पी) 497 व 446(जीएस), सुल्तानपुर रोड गोमतीनगर विस्तार जिला-लखनऊ मे ओमेक्स इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के अन्तर्गत प्रस्तावित संशोधित ग्रुप हाउसिंग-1 के अन्तर्गत ब्लॉक-सी व ब्लॉक-डी भवन की संशोधित प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया आप अपने पत्र दिनांक-10.02.18 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो उपरोक्त विषयक है।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय द्वारा निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक-04.01.2016 व दिनांक-05.02.18 के सापेक्ष प्रश्नगत ग्रुप हाउसिंग भवन के अन्तर्गत प्रस्तावित ब्लॉक-सी व ब्लॉक-डी के प्रस्तुत संशोधित मानचित्र का एन०बी०सी०-2016 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी गोमतीनगर, लखनऊ से निरीक्षण/परीक्षण कराया गया जिनकी आख्या का सुसंगत मानको के अनुसार परीशीलन किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश मे आये।

भवन की संरचना:-

1-कुल भूखण्ड एरिया-

44976.68 वर्गमीटर।

ब्लॉक-सी टावर-1

- प्रस्तावित भूतल का कर्वड एरिया- 529.690 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कर्वड एरिया- 435.325 वर्गमीटर।
- द्वितीय तल से 18वें तल का टिपिकल कर्वड एरिया- 467.512 वर्गमीटर।

ब्लॉक-डी टावर-1

- प्रस्तावित भूतल का कर्वड एरिया- 1195.91 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कर्वड एरिया- 849.30 वर्गमीटर।
- द्वितीय तल से 21 वें तल का टिपिकल कर्वड एरिया- 933.00 वर्गमीटर।
- 22वें तल (सर्विस तल) का 1070.97 वर्गमीटर।
- 23वें (क्लब)तल का कर्वड एरिया- 923.76 वर्गमीटर।

क्लब-प्रस्तावित भूतल का कर्वड एरिया-

1163.27 वर्गमीटर।

- प्रथम तल का कर्वड एरिया-

577.71 वर्गमीटर।

शाप-भूतल का कर्वड एरिया-

813.86 वर्गमीटर।

2-बेसमेन्ट प्रथम का कर्वड एरिया-

30457.750 वर्गमीटर।

3-बेसमेन्ट द्वितीय का कर्वड एरिया-

10400.430 वर्गमीटर।

4-भवन के टावर-सी की ऊँचाई-57.60 व टावर-डी की ऊँचाई-76.95 मीटर तथा क्लब की ऊँचाई-10.50 मीटर हैं।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी० की आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था -

1-**पहुँच मार्ग**-भूखण्ड के सामने मानचित्र मे 45.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।

2-**प्रवेश व निकास** द्वार प्रत्येक की चौड़ाई-06.00 मीटर है, जो मानक के अनुसार है।

3-**सेटबैक**- भवन का न्यूनतम सेटबैक निम्नवत हैं-

- अग्रभाग- 16.00 मीटर।
- पृष्ठभाग- 16.00 मीटर।
- पार्श्वभाग प्रथम- 16.00 मीटर।
- पार्श्वभाग द्वितीय- 16.00 मीटर।

उपरोक्त भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे। सेटबैक मे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा। भवन के बेसमेन्ट का कुछ भाग बिल्डिंग एनवलप से बाहर है इसलिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा बेसमेन्ट की छत का भार वहन क्षमता 45 टन सहन करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4-**निकास मार्ग**-प्रस्तावित भवन के ब्लाक-सी व ब्लाक-डी के प्रत्येक टावर मे दो-दो स्टेयर केस प्रत्येक की चौड़ाई-01.50 मीटर तथा क्लब मे दो स्टेयर केस प्रत्येक की चौड़ाई-01.60 मीटर व 01.25 मीटर का प्राविधान किया गया है तथा बेसमेन्ट से आवागमन हेतु 02 रैम्प व स्टेयर केस का प्राविधान किया गया है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हैं।

5-**रिफ्यूज एरिया का विवरण**-प्रत्येक ब्लाक मे बालकनी प्रस्तावित है।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था-नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं।

1-**भूमिगत टैंक**-दो भूमिगत टैंक-265000 लीटर क्षमता का मानचित्र मे प्राविधानित है।

2-**पम्प**-भूमिगत टैंक के पास मेन पम्प-2850 एलपीएम क्षमता का दो विद्युत चालित पम्प 02 डीजल चालित पम्प 2850 एलपीएम क्षमता 02 जौकी पम्प 180 एलपीएम क्षमता का तथा एक वाटर कर्टेन पम्प 2850 एलपीएम एक डीजल पम्प 2850 एलपीएम तथा एक जौकी पम्प-180 एलपीएम क्षमता का प्राविधान मानचित्र मे किया गया है। परन्तु एनबीसी-2016 के टेबुल-7 के नोट-22 व 23 के अनुसार पम्प स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

3-**होजरील**-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक/टावर के प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0-3844 मानको के अनुसार प्राविधानित हैं।

4-**वेटराइजर**-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक/टावर मे वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0-2005 के मानको के अनुरूप प्राविधानित है।

5-**यार्ड हाईडेन्ट**-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर मे यार्ड हाईडेन्टस होज कैबिनेट एवं उसमे डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0 01339:1991 के अनुसार प्राविधानित है।

6-**हस्तचालित इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम**-भवन के प्रत्येक टावर/ब्लाक मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

7-**स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम**-भवन के प्रत्येक ब्लाक मे आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

8-**स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम**-बेसमेंट व ब्लाक/टावर के प्रत्येक तल पर आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार मानचित्र मे प्राविधानित है।

9-**टेरिस टैंक**-भवन के प्रत्येक ब्लाक/टावर के टेरिस पर टेरिस टैंक-10000 लीटर क्षमता का प्राविधान किया गया है।

10-**टेरिस पम्प**-आवश्यक नहीं है।

11-**प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)**-भवन के प्रत्येक ब्लाक/टावर के प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्राविधानित किया गया है।

(3)

- 12-स्मोक एक्सटैक्शन सिस्टम-प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के बेसेन्ट मे स्मोक एक्सटैक्शन सिस्टम एन0बी0सी0-2016 मानको के अनुसार प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।
- 13-एग्जिट साइनेज-सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साइनेज का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।
- 14-पी0ए0 सिस्टम-सम्पूर्ण भवन मे पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था प्राविधानित किया जाना आवश्यक होगा।
- 15-प्रशिक्षित स्टाफ-ग्रुप हाउसिंग भवन मे आवरो का निर्माण हो जाने के उपरान्त अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्था के कुशल संचालन हेतु एक फायर आफिसर के नेतृत्व मे प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार खसरा नं0-400 से 404,405 से 408(पी),409,410,411,412(पी),480(पी) 497 व 446(जीएस),सुल्तानपुर रोड गोमतीनगर विस्तार जिला-लखनऊ मे ओमेक्स इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के अर्न्तगत प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग-1 के अर्न्तगत ब्लाक-सी व ब्लाक-डी के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई मे अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल विल्डिंग कोड आफ इंडिया-2016 मे उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानको के अनुसार भौतिक रुप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक-यथोपरि


05.06.2018
(ए0बी0पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
लखनऊ।

प्रतिलिपि-अग्निशमन अधिकारी,गोमतीनगर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।